निगरानी नगरपालिका अधिनियम, 2009 प्रकरण सं0 01/2(
00036) अनवानी बहादरराम पुत्र श्री रामजस बिश्नोई जाति बिश्नोई निवासी 1 एन एल कालूवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर बनाम लाल चन्द पुत्र रामजस जाति बिश्नोई निवासी वार्ड नं. 10, रवि चौक, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर 2. आयुक्त, नगर परिषद्, श्रीगंगानगर

29.07.2019

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री बलराम स्वामी एवं अप्रार्थी नगरपरिषद् की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित है। राजकीय अधिवक्ता द्वारा स्वायत्त शासन विभाग राजास्थान, जयपुर की अधिसूचना क्रमांक प.8(ग)()नियम/डीएलबी /15/5843 दिनांक 10.06.2016 की प्रति पेश करते हुए प्रार्थना की है कि हस्तगत प्रकरण बहादर राम द्वारा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1959 की धारा 73(2) के अन्तर्गत के अन्तर्गत भूखण्ड संख्या 479, वार्ड नं. 21 हाल 10 पुरानी आादी, श्रीगंगानगर दिनांक 29.10.1983 को नगर परिषद्, श्रीगंगानगर द्वारा जारीशुदा पट्टा को निरस्त करवाने हेतु पेश की थी और अब चूंकि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1959 की धारा 80(2) (राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 73(2)) के अन्तर्गत के प्रकरणों की सुनवाई एवं निस्तारण हेतु प्रत्येक संभाग के संभागीय आयुक्त को दिनांक 10.06.2016 की उक्त अधिसूचना द्वारा शक्तियां दी जा चुकी है इसलिए इस न्यायालय को उक्त प्रकरण में सुनवाई कर निस्तारण करने का अब कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। अतः उनके द्वारा प्रस्तुत उक्त निगरानी सक्षम ऑथोरिटी के समक्ष पेश करने के लिए लौटाई जाये। प्रार्थी के अधिवक्ता को भी उक्त अधिसूचना के अनुसार सक्षम ऑथोरिटी के समक्ष पेश करने हेतु लौटाने में कोई आपत्ति नहीं है।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

मैनें उक्त तर्को पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी बहादर राम पुत्र रामजस बिश्नोई ने उक्त निगरानी दिनांक 18.01.2019 को इस न्यायालय में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की धारा 73(2)एवं नया राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 80(2) के तहत पेश की थी और अप्रार्थी लालचन्द पुत्र श्री रामजस को आवंटित **भूखण्ड संख्या 479, वाड नं.. 31 हाल 10 पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर दिनांक 29.10.1983 को निरस्त करने की प्रार्थना की थी।** पूर्व में उक्त धारा 73(2) के तहत कार्यवाही करने के लिए निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता अर्थात जिला कलक्टर को शक्तियां थी किन्तु राज्य सरकार की उक्त **अधिसूचना दिनांक 10.06.2016 से ये शक्तियां प्रत्येक संभाग के संभागीय आयुक्त को दे दी गई है।** इसलिए अब इस प्रकरण में सुनवाई कर निस्तारण करने की अधिकारिता निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता को नहीं रहती है। इसलिए उक्त प्रकरण को सक्षम ऑथोरिटी/ न्यायालय के समक्ष पेश करने के लिए लौटाया जाना उचित है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त **निगरानी बहादरराम पुत्र रामजस बिश्नोई बनाम लालचन्द वगै(.1) को सक्षम ऑथोरिटी के समक्ष पेश करने हेतु उक्त निगरानी लौटाई जाती है।** इस आश्य का नोट मूल निगरानी पर अंकित कर दिया जावे। **नगरपरिषद्, श्रीगंगानगर को न्यायालय के आदेश की प्रति भेजी जावे।** पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 29.07.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर